सं. 82] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2003/ज्येष्ठ 8, 1925
No. 82] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2003/JYAISTHA 8, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 मई, 2003

सं. टी ए एम पी/91/2002-जे एन पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण जेएनपीटी टाऊनशिप में स्कूल चलाने के लिए शैक्षणिक संस्थान को स्कूल भवन आबंटित करने हेतु पट्टा किराया निर्धारित करने के बारे में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के प्रकरण को एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार बंद करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/91/2002-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास .... **आवेदक**

आदेश

(मई, 2003 के 6वें दिन पारित)

यह प्रकरण जेएनपीटी टाऊनशिप में स्कूल चलाने के लिए शैक्षणिक संस्थान को स्कूल भवन आबंटित करने हेतु पट्टा किराया निर्धारित करने के बारे में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. जेएनपीटी ने इस प्राधिकरण से स्कूल चलाने के लिए शैक्षणिक संस्थान को स्कूल भवन आबंटित करने के लिए 1/- रुपया प्रति वर्ष का नाममात्र का पट्टा किराया अनुमोदित करने का अनुरोध किया था।

3. जेएनपीटी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि क्या उसके द्वारा प्रस्तावित नाममात्र का किराया भूमि नीति का हिस्सा था और क्या यह भूमि नीति सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

4. जेएनपीटी ने शुरू में बताया था कि उसने नाममात्र का पट्टा किराया आधार पर जेएनपीटी टाऊनशिप में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल चलाने के लिए भवन आबंटित करने का प्रस्ताव नौवहन मंत्रालय को भेजा है और सरकार का अनुमोदन अभी प्रतीक्षित है। जेएनपीटी ने, तत्पश्चात्, इस प्रस्ताव को वापस लेने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित किया है। जेएनपीटी के इस निर्णय के मद्देनजर, यह मामला बंद किया जाता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03(असा.)]